204

अतिआवश्यक / महत्वपूर्ण

उत्तर प्रदेश पी0ए0सी0 मुख्यालय, लखनऊ

महानगर, लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337451
फैक्स : 0522–2337453,
सीयूजी : 945440–0136
Email : sec2@uppac.net

पत्रांकः पीएसी–II–206–(74)–2020 / 599
दिनांक : मई 21 ,2020

स्थायी आदेश संख्याः 02 / 2020

विषयः राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), उ0प्र0 का वार्षिक / अर्धवार्षिक / आकस्मिक / डिटैचमेन्ट निरीक्षण विषयक स्थायी आदेश।

उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2903 / 6–पु–16–2016–1100(6) / 2013 दिनांक 28.11.2016 द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 एवं उ0प्र0 आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 के प्रावधानानुसार उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध प्राधिकारण (स्टेट डिजास्टर मैनेजमेन्ट अथारिटी) का गठन किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन निति–2009 तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन योजना के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों के अनुपालन में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एन0डी0आर0एफ0) की भाँति उ0प्र0 में प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 द्वारा राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0) के गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में सचिव, गृह(पुलिस) अनुभाग–16, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्याः 2749 / छः–पु–16–2017–1100 (06) / 2013 टीसी दिनांक 17.08.2017 द्वारा प्राकृतिक एवं मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0) के लिए विभिन्न श्रेणी के 535 पदों का सृजन किया गया है।

इस प्रकार शासन द्वारा एस0डी0आर0एफ0 के लिए स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्ध बल की कार्य कुशलता, अनुशासन, व्यवस्थापन स्थल पर मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, बल के कर्मचारियों की समस्याओं की सुनवायी एवं उनके निराकरण सहित बल के

समस्त क्रिया–कलापों के अनुश्रवण के दृष्टिगत नियमित एवं प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है।

तीन कम्पनी जनशक्ति वाला एस0डी0आर0एफ0 मुख्यतः 01–01 कम्पनी जनशक्ति के रूप में क्रमशः **(1)एस0डी0आर0एफ0 मुख्यालय, लखनऊ, (2)35वीं वाहिनी पीएसी, लखनऊ एवं (3)26वीं वाहिनी पीएसी, गोरखपुर** में व्यवस्थापित रहती है।

2– एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी मुख्यालय सहित एस0डी0आर0एफ0 की प्रदेश में व्यवस्थापित टीमों के निरीक्षण की कोई निर्धारित/प्रचलित प्रक्रिया न होने के कारण सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान परिवेश में निरीक्षण एवं अनुश्रवण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से निम्नांकित दिशा–निर्देश निर्गत किये जा रहे हैं:–

- **वार्षिक/अर्धवार्षिक निरीक्षणः–**

वाहिनी की विभिन्न शाखाओं आदि का निम्नलिखित **07 शीर्षकों** के अन्तर्गत निरीक्षण किया जायेगाः–

क्र0सं0	शीर्षक	शाखा
1.	प्रथम	पत्र व्यवहार शाखा
2.	द्वितीय	आंकिक शाखा
3.	तृतीय	शिविर पाल शाखा
4.	चतुर्थ	परिवहन शाखा
5.	पंचम	सैन्य सहायक शाखा
6.	षष्ट्म	वाहिनी का सामान्य प्रशासन 1.वाहिनी में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों के बारे में टिप्पणी 2.सेनानायक के गोपनीय कार्यालय की समीक्षा 3.अधिकारियों द्वारा किये गये विभिन्न निरीक्षणों की पर्याप्तता, गुणवत्ता, अनुपालन की समीक्षा 4.अधिकारियों के दौरों आदि की समीक्षा 5.खेलकूद 6.वाहिनी अधिकारियों की बैठक 7.सम्मेलन
7.	सप्तम्	वाहिनी मुख्यालय पर उपलब्ध कार्यकारी बल का निरीक्षण

- खेलकूद
- डिटैचमेन्ट चेकिंग
- कल्याणकारी कार्य
- भवन/परिसर का रख–रखाव
- परिवहन शाखा का रख–रखाव
- स्टोर एवं टेन्टेज
- अनुशासन एवं मनोबल

- **डिटैचमेन्ट चेकिंगः–**

सेनानायक द्वारा अपनी वाहिनी के प्रत्येक डिटैचमेन्ट/पोस्ट का निरीक्षण प्रत्येक तीन माह में एक बार स्वयं किया जायेगा। सहायक सेनानायक एवं उप सेनानायक द्वारा दल/टीम का प्रत्येक माह में डिटैचमेन्ट चेकिंग शत–प्रतिशत की जायेगी।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा समस्त डिटैचमेन्ट का वर्ष में एक बार भ्रमण स्वविवेकानुसार किया जायेगा। वर्ष की गणना जनवरी से दिसम्बर के आधार पर होगी।

डिटैचमेन्ट के भ्रमण के दौरान निम्नलिखित बिन्दुओं को भी देखा जाय तथा किसी प्रकार की समस्या हो तो उसका समाधान भी सुनिश्चित किया जायः–

- कैम्प ले–आऊट
- कैम्प सुरक्षा
- टीम की जनशक्ति
- टीम के वाहनों की स्थिति
- टीम के द्वारा किये जाने वाले प्रशिक्षण
- कर्मचारियों की समस्यायें/कल्याण/परिवार की समस्यायें/मनोबल/अनुशासन
- कर्मचारियों की मेस व्यवस्था/मनोरंजन के साधन

- सेनानायक अपनी वाहिनी का अर्धवार्षिक निरीक्षण (01 जनवरी से 30 जून तक का मूल्यांकन) माह जुलाई में तथा विस्तृत सर्वांगीण वार्षिक निरीक्षण माह–जनवरी में करेंगे। इसी प्रकार सहायक सेनानायक एवं उप सेनानायक द्वारा भी वाहिनी की विभिन्न शाखओं का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक निरीक्षण माह जुलाई एवं जनवरी में सेनानायक के निरीक्षण से पूर्व क्रमशः सहायक सेनानायक एवं तत्पश्चात उप सेनानायक द्वारा किया जायेगा।
- पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा एस0डी0आर0एफ0 वाहिनी का अर्धवार्षिक निरीक्षण (01 जनवरी से 30 जून तक का मूल्यांकन करते हुए) माह जुलाई–अगस्त में 07 शीर्षकों के अन्तर्गत किया जायेगा। पूरे वर्ष का विस्तृत निरीक्षण माह जनवरी–फरवरी में किया जायेगा।

- **वाहिनी का आकस्मिक भ्रमण/निरीक्षणः–**

सेनानायक द्वारा प्रत्येक माह में वाहिनी के किसी एक शाखा का स्वयं गहराई से निरीक्षण किया जायेगा। वाहिनी के सहायक सेनानायक एवं उप सेनानायक द्वारा प्रत्येक माह वाहिनी के विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण करने हेतु रोस्टर बनाते समय सेनानायक द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि माह में जिन शाखाओं का निरीक्षण उनके द्वारा व्यक्तिगत रूप से किया जा रहा है, उस शाखा के अतिरिक्त अन्य शाखा का निरीक्षण सहायक सेनानायक एवं उप सेनानायक द्वारा किया जाय।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार वाहिनी मुख्यालय का आकस्मिक भ्रमण/निरीक्षण अवश्य करेंगे।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये जाने वाले आकस्मिक भ्रमण/निरीक्षण में अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं के अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर अपनी निरीक्षण आख्या में टिप्पणी अवश्य अंकित की जायः–

- प्रशिक्षण

- ❖ इलाके की भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी
- ❖ कर्मचारियों का स्वास्थ्य
- ❖ उपकरणों का रख–रखाव एवं कर्मियों को इसके उपयोग का ज्ञान
- ❖ प्रशिक्षण

3– उपरोक्तानुसार निरीक्षणों का निर्धारण इस उद्देश्य से किया गया है कि वाहिनी में किये जाने वाले निरीक्षणों की संख्या एवं विषय में एकरूपता बनी रहे। निरीक्षण का वास्तविक उद्देश्य तभी पूर्ण हो पायेगा जब इसे रूटीन में न लेकर पूरे मनोयोग से किया जाय। निरीक्षण से वास्तविक स्थिति उभरकर सामने आनी चाहिए एवं जिन बिन्दुओं पर सुधार की गुंजाइश हो एवं व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है, उनके सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अनुभव एवं ज्ञान से अधीनस्थ अधिकारियों को प्रेरित एवं उत्साहित किया जाना चाहिए। पोस्टों की चेकिंग अधिकारियों द्वारा बिना किसी अपवाद के वर्दी में ही किया जाय।

4– कृपया उक्तांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

21/5/2020

(विनोद कुमार सिंह)
अपर पुलिस महानिदेशक,पीएसी,
उ0प्र0, लखनऊ।

प्रतिलिपिः–

1– पुलिस उपमहानिरीक्षक, मुख्यालय, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2– सेनानायक, राज्य आपदा मोचन बल (एस0डी0आर0एफ0), उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3– अनुभाग अधिकारी, अनुभाग–2, पीएसी मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ को गार्ड फाइल पर रखने हेतु।